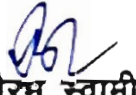


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 16.10.2020 द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर चयनित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति ("राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिये) हेतु दी गई अनुमति की पालना में इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/बी-4/प्रति0/विविध/2017 दिनांक 21.10.2020 द्वारा कम संख्या 3 पर अंकित श्री विनोद कुमार जैन को एसोसिएट प्रोफेसर (समकक्ष प्रधानाचार्य) पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश में कम संख्या 03 पर अंकित कार्मिक श्री विनोद कुमार जैन की हद तक तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्री जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेमला, कुराबड, जिला उदयपुर में प्रधानाचार्य-उमावि के पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/बी-4/प्रति0/विविध/2017

दिनांक : 31.12.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रतिनियुक्त निरस्त करने की कार्यवाही बाबत।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक / संस्था प्रधान को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।


31.12.20
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर